

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा, म0प्र0

—:: विज्ञप्ति ::—

सर्व साधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि, माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्र. Reg(IT)(SA)/2019/681 जबलपुर दिनांक 09.05.19 के द्वारा प्राप्त अनुमति के पालन में जिला न्यायालय के डिजीटाईजेशन सेंटर में पॉवर बेकअप हेतु 01 नग 20 KVA क्षमता के 3 फेज डीजल जनरेटर सेट क्रय किये जाने हेतु प्रतिष्ठित संस्थानों से म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियम 11.2 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन निविदा सील बंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 24.08.19 को सायं 05.00 बजे तक है। अंतिम दिनांक तक प्राप्त समस्त निविदाये, निविदा कर्ता एवं क्रय समिति, जिला न्यायालय की उपस्थिति में दिनांक 31.08.19 को दोपहर 02 बजे खोली जावेगी। विस्तृत निविदा शर्तों की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.in एवं शासकीय टेंडर पोर्टल www.tenders.gov.in पर उपलब्ध है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा म0प्र0

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा, म0प्र०

— तकनीकी बिड —

क्र 0	सामग्री	संख्या	तकनीकी विवरण
1	20 KVA Capacity 3 phase DG set	01	Eicher /TMTL Make 20 KVA 3 Phase Silent DG set along with CG/Stanford/LS/MCAL make 20 KVA/ 16 KW, 230 Volt alternator mounted on common Base frame along with other accessories i.e. AMF panel, fuel tank, Battery with leads.

— वित्तीय बिड —

—:: आवश्यक निर्देश ::—

1. वित्तीय बिड (रूपये में) समस्त कर, इंस्टालेशन चार्ज, भाड़ा इत्यादि सहित।
2. बिड दरों में ऑनसाईट वारण्टी एवं टैकिनकल सपोर्ट समाहित हो।
3. सभी प्रकार के करों एवं क्य मूल्य का खुलासा एवं सकल योग स्पष्ट रूप से निविदा में अंकित किया जावे।

निविदाकर्ता संस्था का नाम

कंपनी

मॉडल

क्र०	समग्री विवरण	प्रति नग दर	टैक्स विवरण	कुल मूल्य
1	20 KVA 3 phase Diesel Generator set (including Installation, freight and other charges)			

बिड का कुल मूल्य (रूपये में)

बिड का कुल मूल्य (शब्दों में)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

निविदाकर्ता का नाम

संपूर्ण पता

दूरभाष नं० एवं ईमेल आईडी०

दिनांक

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा, म0प्र०

— निविदा शर्ते —

1. निविदा दस्तावेज एक सीलबंद लिफाफे में जिसके अन्दर दो पृथक सीलबंद लिफाफे (तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड) के साथ जमा किये जावेंगे। कोई भी निविदा विज्ञप्ति में दर्शित अंतिम दिनांक के बाद स्वीकार नहीं की जावेगी। पोस्ट अथवा कोरियर से निविदाओं को भेजा जा सकेगा, किन्तु इस माध्यम से समय उपरांत प्राप्त निविदाओं के लिये कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा उत्तरदायी नहीं होगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा तकनीकी बिड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा के नाम ₹0–10,000/- मूल्य की प्रतिभूति राशि जमा किये जाने बावत् सहमति पत्र, निविदा शर्ते मानने बावत् हस्ताक्षरित पत्र, विगत 03 वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न, सर्विस टैक्स पंजीयन, GST रजिस्ट्रेशन, पैन नंबर, मान्य टिन नंबर, कंपनी प्रोफाईल/टर्न ऑवर समाहित होगा। इसके अतिरिक्त निविदाकर्ताओं को सामग्री की सेल्स, सर्विस एवं टैक्निकल सपोर्ट में न्यूनतम 03 वर्षों का अनुभव प्रमाण—पत्र तथा विगत 03 वर्षों में केन्द्र शासन/राज्य शासन/प्रतिष्ठित निजी संस्थान में सप्लाई संबंधी जानकारी तकनीकी बिड में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. माननीय उच्च न्यायालय म0प्र० जबलपुर से निविदा स्वीकृति की अनुशंसा एवं प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत इस कार्यालय द्वारा सूचना दिये जाने के 15 दिवस के अन्दर सफल निविदाकर्ता द्वारा राशि ₹0–10,000/- की प्रतिभूति राशि जमा करने पर ही सामग्री का क्य आदेश जारी किया जावेगा।
4. सफल निविदाकर्ता द्वारा क्य की जाने वाली सामग्री प्रदाय एवं इंस्टालेशन किये जाने के उपरांत विभागीय क्य समिति द्वारा निविदा अनुरूप गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक अनुसार पाये जाने का प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत ही देयक भुगतान की कार्यवाही की जावेगी अन्यथा सामग्री मूलतः विक्रेता के व्यय पर वापिस की जावेगी।
5. तकनीकी बिड का लिफाफा समस्त निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में दिनांक 31.08.2019 को खोला जावेगा। यदि निविदाकर्ता का कोई प्रतिनिधि उपस्थित होना चाहता है तो निविदाकर्ता को इस बावत् संस्था द्वारा अधिकृत पत्र प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी बिड में दर्शित दस्तावेजों एवं निविदा शर्तों के मूल्यांकन पश्चात् क्य समिति द्वारा बिड में दर्शित सामग्री के तकनीकी मापदंडों में सफल पाये जाने पर ही निविदाकर्ता की वित्तीय बिड का लिफाफा खोला जावेगा।
6. सफल निविदाकर्ता को क्य आदेश जारी होने के पश्चात् क्य आदेश मूल्य के 05 प्रतिशत मूल्य की राशि निष्पादन प्रतिभूति के रूप में डी०डी०/एफ०डी०आर० द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा के नाम जमा करानी होगी। जो इंस्टालेशन होने से 60 दिवस की अवधि तक मान्य होगी। उक्त निष्पादन प्रतिभूति के प्राप्त होने के पश्चात् सफल निविदाकर्ता को

पूर्व में जमा प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी। सभी निविदाकर्ता निर्धारित आईएसओ० प्रमाण—पत्रों का पालन सुनिश्चित करें।

7. निविदाकर्ता द्वारा निविदा में ऑनसाईट वारण्टी प्रदान किया जाना आवश्यक होगा। वारण्टी अवधि में किसी प्रकार की समस्या आने पर 02 कार्य दिवसों में ठीक कराया जाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त सफल निविदाकर्ता को क्य आदेश जारी होने के अधिकतम 15 दिवस के अन्दर सामग्री प्रदाय कर इंस्टालेशन कराया जाना होगा।
8. समस्त निविदाएं तथा उनमें दर्शित दरें तकनीकी बिड खोले जाने की दिनांक से न्यूनतम 03 माह की अवधि तक मान्य होना आवश्यक है। ऐसा न होने की दशा में निविदा निरस्त करते हुये प्रतिभूति राशि जप्त की जा सकती है।
9. सफल निविदाकर्ता द्वारा सामग्री का इंस्टालेशन रीवा जिला न्यायालय में किया जावेगा।
10. किसी भी समय बिना किसी कारण के संपूर्ण निविदा अथवा किसी सामग्री को निविदा से खारिज करने एवं निविदा से संबंधित सभी अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के अधीन सुरक्षित रहेंगे।


जिला एवं सत्र/न्यायाधीश
सी. श्रीवा. म०प०